

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 176/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/4/2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवकों एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 48/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25/01/2023 (वित्त निर्देश 3/2023) एवं क्रमांक 98/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 24/02/2023 (वित्त निर्देश 9/2023)

—0—


संदर्भित वित्त निर्देशों के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. का चयन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 05 मार्च 2023 तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस अवधि में कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2/ विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. का चयन हेतु दिनांक 08.05.2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की जाती है। इस निर्धारित अवधि में अनिवार्यतः विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय प्रमुखों के द्वारा संबंधित शासकीय सेवकों को पृथक से कार्यालयीन पत्र के माध्यम से सूचित किया जावे।

3/ उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा में संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एन.पी.एस. हेतु सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार


(इन्द्रप्रकाश रात्रे)

अवर सचिव

पृ.क्र. 177/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/4/2023
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


अवर सचिव